# एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग चेक (सामान्य हितधारकों के लिए)

सामान्य हितधारकों के लिए यह फैक्ट शीट बताती है कि एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग चेक क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है।

## एन डी आई एस की गुणवत्ता और सुरक्षा का ढांचा

वर्ष 2016 में, सभी ऑस्ट्रेलियाई सरकारें एन डी आई एस गुणवत्ता और सुरक्षा ढांचे (फ्रेमवर्क) [NDIS Quality and Safeguarding Framework](https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services/for-people-with-disability/ndis-quality-and-safeguarding-framework-0) के लिए सहमत हुईं। एन डी आई एस प्रतिभागियों को सशक्त बनाने और समर्थन देने के लिए फ्रेमवर्क एक राष्ट्रीय रूप से सुसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे वे चयन कर सकें और नियंत्रण रख सकें। फ्रेमवर्क उचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करता है। यह प्रदाताओं और उनके कर्मचारियों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त सहायता देने के लिए अपेक्षाएं भी स्थापित करता है।

फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में, सभी राज्य और क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। नई एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग चेक राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (एन डी आई एस) की गुणवत्ता और सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है।

## एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग जाँच क्या है?

1 फरवरी 2021 से, एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग चेक(वर्कर स्क्रीनिंग चेक)प्रत्येक राज्य या क्षेत्र में संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं की जगह ले रहा है, तथा एक न्यूनतम राष्ट्रीय मानक स्थापित कर रहा है, जो जोखिम मूल्यांकन भूमिका में लगे सभी कार्यकर्ताओं को पूरा करना होगा। कुछ राज्यों और क्षेत्रों में अभी भी कुछ परिस्थितियों में अतिरिक्त आवश्यकताएं हो सकती हैं, जैसे बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता हो सकती है। क्वींसलैंड [Queensland](http://workerscreening.communities.qld.gov.au/) में प्रदाताओं के लिए एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग के संबंध में अतिरिक्त दायित्व या प्रतिबंध हैं।

वर्कर स्क्रीनिंग चेक एक आकलन है कि क्या वह व्यक्ति जो काम करता है, या काम करना चाहता है, विकलांग लोगों के लिए खतरा है। वर्कर स्क्रीनिंग चेक यह भी निर्धारित करेगा कि विकलांग व्यक्ति के साथ कुछ भूमिकाओं में काम करने के लिए किसी व्यक्ति को मंजूरी दी गई है या नहीं।

वर्कर स्क्रीनिंग चेक राज्य या क्षेत्र में कार्यकर्ता स्क्रीनिंग यूनिट (डब्ल्यू एस यू) द्वारा आयोजित किया जाएगा जहां कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है। डब्लू एस यू यह भी तय करता है कि किसी व्यक्ति को हटा दिया गया है या नहीं।

पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं को केवल उन कार्यकर्ताओं को संलग्न करना आवश्यक है, जिन्हें उन सभी कार्यों में मंजूरी दे दी गई है, जो कि जोखिम मूल्यांकन ‘[risk assessed role’](https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide) में आते हैं।

## कार्यकर्ता स्क्रीनिंग केवल उन नीतियों में से एक है जो विकलांग लोगों को हो सकने वाले नुकसान के खतरों को कम करने के लिए काम करती है। एन डी आई एस प्रदाताओं को उन अतिरिक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को भी लागू करना चाहिए जो विकलांग लोगों को संभावित नुकसान के खतरों को पहचानने और कम करने में सहायता करती हैं। इनमें सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृतियों को बढ़ावा देना शामिल है, जो दुरुपयोग, उपेक्षा या शोषण को सहन नहीं करती हैं; और जो भर्ती की गुणवत्ता , चयन और स्क्रीनिंग को सुनिश्चित करती हैंऔर शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान बनाए रखती हैं।

## वर्कर स्क्रीनिंग चेक क्या करेगा?

वर्कर स्क्रीनिंग चेक निम्नलिखित कार्य करेगा:

• एन डी आई एस प्रदाताओं की भर्ती, चयन और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनेगा, और कार्यकर्ताओं की उपयुक्तता का लगातार निरीक्षण करेगा।

• स्व-प्रबंधित प्रतिभागियों की पसंद और नियंत्रण में, उन्हें यह पूछने का विकल्प देकर, वृद्धि करेगा कि जो कर्मचारी उन्हें सहायता और सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें काम देने से पहले NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस प्राप्त करे।

• ऑस्ट्रेलिया में किसी भी राज्य या क्षेत्र में पंजीकृत NDIS प्रदाताओं के साथ जोखिम मूल्यांकन की भूमिकाओं में काम करने के लिए NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस के साथ कार्यकर्ताओं को काम करने की अनुमति दें

• एन डी आई एस प्रतिभागियों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने में सहायता करता है।

## NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस कब तक मान्य है?

एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस वाले कार्यकर्ता, पुलिस और अन्य प्रासंगिक जानकारी के अनुरूप चल रहे निरीक्षण के अधीन हैं।

इसका मतलब है कि अगर एक डब्ल्यू एस यू या एन डी आई एस क्वालिटी एंड सेफगार्ड्स कमीशन (एन डी आई एस कमीशन) को नई या अपडेट की गई जानकारी मिलती है, जो यह बताती है कि कोई कार्यकर्त्ता विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, तब स्क्रीनिंग क्लीयरेंस दोबारा जांची जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो उन्हें अपने मौजूदा NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस की समय सीमा समाप्त होने से पहले NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस होने से बाहर रखा जा सकता है।

एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस हर पांच (5) साल में समाप्त हो जाती है।

## वर्कर स्क्रीनिंग चेक कब शुरू होगा?

## कार्यकर्ता स्क्रीनिंग जाँच, नॉर्दर्न टेरिटरी को छोड़कर, बाकी सब जगह, 1 फरवरी 2021 को शुरू होगी। नॉर्दर्न टेरिटरी 1 जुलाई 2021 से बाद वर्कर स्क्रीनिंग चेक शुरु करेगा।

## अधिक जानकारी

### विधान

* [NDIS (Practice Standards - Worker Screening) Rules 2018](https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C01138)
* [*National Disability Insurance Scheme Act 2013*](https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392)

**एन डी आई एस NDIS कमीशन की वेबसाइट**

* [Glossary](https://www.ndiscommission.gov.au/about/ndis-worker-screening-check#gloss)  इस फैक्ट शीट में प्रयुक्त शब्दों की शब्दावली।
* [worker requirements](https://www.ndiscommission.gov.au/workers/worker-screening-workers) के बारे में सूचना के लिए
* [NDIS Worker Screening Check for registered NDIS providers](https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening) के बारे में सूचना के लिए[NDIS Practice Standards and Quality Indicators](https://www.ndiscommission.gov.au/document/986)